



68

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

- 1- चैन्या पिता कालू
 - 2- बालिया पिता विश्राम
 - 3- रंगाबाई बेवा हादू
- निवासी- ग्राम बघाडी तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.)

—प्रार्थीगण

विरुद्ध

- 1- सुकीबाई बेवा हगरिया भीलाला ✓
 - 2- सीताराम पिता हगरिया भीलाला ✓
 - 3- राजाराम पिता हगरिया भीलाला ✓
 - 4- सुशीलाबाई पिता हगरिया भीलाला ✓
- सभी निवासी- ग्राम बघाडी तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.)
- 5- विजय पिता हादू
 - 6- नंदु पिता पुनमचंद
- दोनों निवासी- ग्राम बघाडी तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.)

— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म०प्र० नू-राजस्व संहिता 1959 ।

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजपुर जिला बडवानी द्वार प्रकरण कमांक 45/अपील/अ-6/2011-12 में आदेश दिनांक 08-11-2012 से असन्तुष्ट होकर प्रार्थीगण यह निगरानी निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करते हैं :-

R-743-13/11/13
श्री पी. पी. शर्मा
अधीन
दिनांक 13-11-13
श्री (B) 13/11/13
RSCY



19/11/13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 743-पीबीआर/13

जिला बडवानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 की ओर से श्री मुकेश तारे, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । शेष अनावेदक सूचित हों</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> अध्यक्ष</p>